1992, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18th December, 1992 (Issue No. 513),—

at page 2, in line relating to the date of the notification, *for* "18th December, 1992" *read* "17th December, 1992".

[F. No. 13(1)/92-WS]

M. M. RAJENDRAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 1993/माघ 26, 1914
No. 52] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 1993/MAGHA 26, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1993

रेल (रेल रसीद न होने पर परेषण और विक्रय आगम परिदान की रीति) संशोधन नियम, 1993

सा.का.नि. 70 (अ):—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार रेल (रेल रसीद न होने पर परेषण और विक्रय आगम परिदान की रीति) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल (रेल रसीद न होने पर परेषण और विक्रय आगम परिदान की रीति) संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल (रेल रसीद न होने पर परेषण और विक्रय आगम परिदान की रीति) नियम, 1990 में :—

(1) नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3. जब रेल रसीद उपलब्ध न हो रही हो तब परेषणों का परिदान

(1) जहां रेल रसीद उपलब्ध न हो रही हो वहां परेषण का परिदान उस व्यक्ति को किया जा सकता है जो रेल प्रशासन की राय में माल प्राप्त करने का हकदार है और जो उसे प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट रूप में क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित करने पर प्राप्त करेगा:

परन्तु यदि परेषिती अपनी पदीय हैसियत में सरकारी पदाधिकारी तो ऐसा परिदान अनस्टांपित क्षतिपूर्ति पत्र पर किया जा सकता है।"

(2) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
"4. जब रेल रसीद उपलब्ध न हो रही हो और परेषणों अथवा विक्रय आगमों का दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाता है तब परेषणों का परिदान—जब रेल रसीद उपलब्ध न हो रही हो और रेल प्रशासन के कब्जे में के माल का दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाता है तब रेल प्रशासन ऐसे माल का परिदान तब तक रोक सकता है जब तक कि प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट रूप में किसी क्षतिपूर्ति पत्र का उस व्यक्ति द्वारा निष्पादन नहीं कर दिया जाता जिसको माल का परिदान किया जाता है या विक्रय आगमों का संदाय किया जाता है।"